न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः—161/2024

प्रार्थीः—

मनोहर कुमार पुत्र दीपाराम जाति मेघवाल निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई बैंक शाखा पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—श्री किशोरीलाल सोनी
प्रार्थी वकील

—:: आदेश ::— दिनांक :—17.10.2025

संक्षेप् में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 774 रकबा 18.1299 हैक्टेयर ग्राम पादरू तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर का"त करता आ रहा हैं। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात—यथा आधार कार्ड, रा"न कार्ड, जनाधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अंक तालिका, पेन कार्ड में उसका वास्तविक नाम मनोहर कुमार पुत्र दीपाराम ही अंकित है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिव"ा प्रार्थी का नाम मनोहर कुमार पुत्र दीपाराम के स्थान पर नाबालिग रमेश पुत्र दीपाराम सरंक्षक सरपरस्त मंजूदेवी लिख दिया। इस प्रकार अ"ुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 2 [illegible] उपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में [illegible]। तहसीलदार सिवाना के पत्र कमांक—2080 दिनांक 14.10.2025 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में आधार कार्ड, रा"ान कार्ड, जनाधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अंक तालिका, पेन कार्ड आदि प्रस्तुत किये।

दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि उनका वास्तविक नाम मनोहर कुमार पुत्र दीपाराम है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का त्रुटिवश

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:45:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

नाम नाबालिग रमेश पुत्र दीपाराम सरंक्षक सरपरस्त मंजूदेवी लिख दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अ"शुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, रा"ान कार्ड, जनाधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अंक तालिका, पेन कार्ड आदि दस्तावेजात में उनका नाम मनोहर कुमार पुत्र दीपाराम दर्ज है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम मनोहर कुमार पुत्र दीपाराम होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पादरू तहसील सिवाना की खसरा संख्या 774 रकबा 18.1299 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम 'नाबालिग रमेश पुत्र दीपाराम सरंक्षक सरपरस्त मंजूदेवी' के स्थान पर 'मनोहर कुमार उर्फ रमेश कुमार पुत्र दीपाराम' दुरूस्त करने के आदे"ा दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनि"िचत किये जाने हेतु आदे"ाित किया जाता है।

आदे"ा आज दिनांक 17.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:45:28 IST
Reason: SelfAttested